मण्डल/विद्युत कंपनी द्वारा वर्ष 2008–09 में की गई कर्मचारी कल्याणकारी गतिविधियॉ

कैंटिन अनुदान

कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत ताप विद्युतगृह कोरबा (पूर्व), हसदेव ताप विद्युतगृह कोरबा (पश्चिम) एवं 2X250 मेगावाट कोरबा पूर्व में इंडियन कॉफी वर्कर्स को–आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड द्वारा संचालित तीनों कैंटिनों को विद्युत मण्डल द्वारा अप्रेल 2008 से दिसंबर 2008 तक रूपये 36,77,250/– एवं 01 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2009 तक रूपये 12,25,749/– वार्षिक अनुदान सब्सिडी दी गई है। तीनों कैंटिनों के लिये अन्य सुविधाएँ यथा भवन, वार्षिक रखरखाव, फर्नीचर, आवश्यक बर्तन, कोयला आदि की आपूर्ति मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। कर्मचारियों को कैंटिन से सब्सिडाइज्ड दर पर भोजन व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

...